अध्याय-1

आई एफ एम एस विहंगावलोकन एवं लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

अध्याय-1

आई एफ एम एस विहंगावलोकन एवं लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

1.1 परिचय

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई एफ एम एस), राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एन ई जी पी) के मिशन मोड प्रोजेक्ट (एम एम पी) के अंतर्गत एक वेब आधारित वित्तीय लेखांकन प्रणाली है। आई एफ एम एस, राज्य कोषागार के विभिन्न उपयोगकर्ताओं को यूजर इंटरफेस प्रदान करने हेतु डिज़ाइन एवं विकसित किया गया था। यह पोर्टल सम्पूर्ण राज्य में समर्पित लीज लाइनों के माध्यम से जुड़े 91[1] कोषागारों/ उप-कोषागारों द्वारा उत्तराखण्ड शासन के वास्तविक समयानुसार किए गए वित्तीय लेन-देन को दर्शाता है। कोषागारों एवं उप-कोषागारों की सूची ***परिशिष्ट-1.1*** में दी गई है।

आई एफ एम एस के क्रियान्वयन से पूर्व, उत्तराखण्ड शासन के आहरण एवं वितरण अधिकारियों (डी डी ओ) से संबंधित विभिन्न लेन-देन, कोर ट्रेजरी सिस्टम के माध्यम से किए जा रहे थे।

एन ई जी पी, मूल रूप से 2006 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। वर्तमान में इसमें 31 एम एम पी शामिल हैं। एम एम पी एक विशिष्ट परियोजना है जो इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन के एक पहलू, जैसे बैंकिंग, भूमि अभिलेख तथा वाणिज्यिक कर आदि पर केंद्रित है। कोषागारों का कंप्यूटरीकरण राज्यों के लिए 13 एम एम पी में से एक था (शेष एम एम पी केंद्रीय अथवा एकीकृत एम एम पी थे), जिसे उत्तराखण्ड में आई एफ एम एस के रूप में विकसित किया गया था।

आई एफ एम एस आर्किटेक्चर एक केंद्रीकृत प्रणाली थी, जिसमें सभी प्रसंस्करण, फाइनेंस डेटा सेंटर (एफ डी सी) में स्थित सर्वरों के एक सेट में केंद्रीकृत थे। समस्त कोषागार उत्तराखण्ड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (यू के एस डब्लयू ए एन) के माध्यम से एफ डी सी से जुड़े हुए थे। आई एफ एम एस में कुल 4,586 डी डी ओ पंजीकृत थे। आई एफ एम एस को ***परिशिष्ट-1.2*** में दिए गए विवरण के अनुसार 23 विभिन्न एप्लीकेशन्स के साथ एकीकृत किया गया था। आई एफ एम एस को 01 अप्रैल 2019 से उत्तराखण्ड के सभी विभागों में लागू किया गया था।

[1] 13 जिला कोषागार, छह कोषागार, एक साइबर कोषागार, 70 उप-कोषागार तथा एक वेतन एवं लेखा कार्यालय (वे ले का)

1.2 आई एफ एम एस की मुख्य विशेषताएं

कॉमन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म	केंद्रीकृत डेटा प्रोसेसिंग	एकरूपता	पारदर्शिता
•अपने आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों को कॉमन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करना।	•एफ डी सी पर सभी प्राप्तियों एवं भुगतान संबन्धित लेन-देनों को केंद्रीकृत रूप से ऑनलाइन प्रोसेस करना।	•शासन, विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों के मध्य एकरूपता स्थापित करना।	•पारदर्शिता के साथ एक निश्चित समयावधि में समस्त भुगतानों को सुनिश्चित करना।

1.3 आई एफ एम एस के माध्यम से डी डी ओ एवं कोषागारों द्वारा सम्पादित कार्य

आई एफ एम एस के माध्यम से डी डी ओ एवं कोषागारों द्वारा सम्पादित किए जाने वाले विभिन्न कार्य नीचे दर्शाए गए हैं:

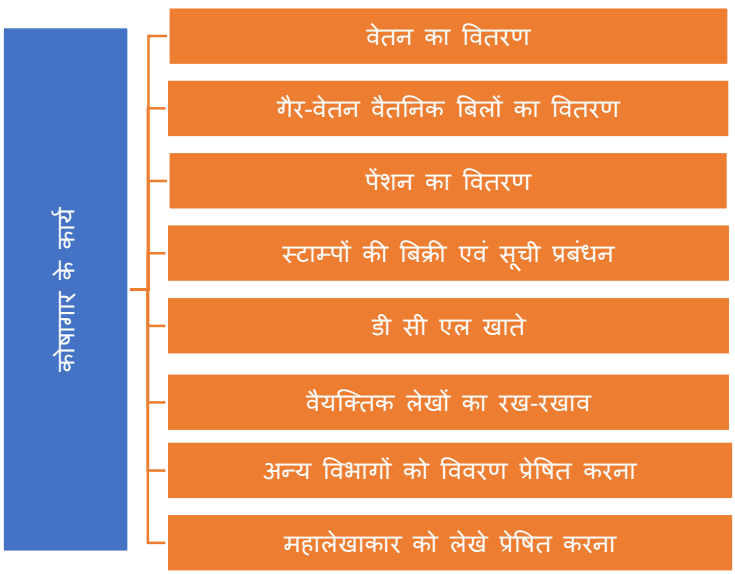

1.4 आई एफ एम एस के महत्वपूर्ण चरण

2010 - राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एन ई जी पी) के मिशन मोड प्रोजेक्ट (एम एम पी) के अंतर्गत कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण शुरू किया गया।

जुलाई 2010 - भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों को दिशा-निर्देशों के अनुसार, अपने प्रस्ताव भेजने के लिए कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया।

जनवरी 2013 - उत्तराखंड शासन द्वारा अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर), एम एम पी कोषागार प्रेषित की गयी एवं परियोजना को आई एफ एम एस नाम दिया गया।

26 जुलाई 2013 - भारत सरकार द्वारा डी पी आर को स्वीकृति प्रदान गई तथा परियोजना की कुल लागत ₹1150.17 लाख के सापेक्ष ₹243.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई।

16 अक्टूबर 2014- सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु निविदा आमंत्रित की गयी एवं तकनीकी निविदा में केवल एक निविदादाता के योग्य होने के कारण निविदा रद्द कर दी गई।

23 फरवरी 2015 - पुनः निविदा आमंत्रित की गई। मैसर्स टेक्नो ब्रेन इंडिया प्रा. लिमिटेड को ₹1,51,68,600/- की कुल लागत पर आई एफ एम एस विकसित करने हेतु चयनित किया गया (06 जून 2015)

08 अक्टूबर 2015 - वित्त विभाग एवं मैसर्स टेक्नो ब्रेन इंडिया प्रा. लिमिटेड के मध्य अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया।

30 अगस्त 2018 - मैसर्स टेक्नो ब्रेन इंडिया प्रा. लिमिटेड के साथ अनुबंध निरस्त किया गया।

18 अगस्त 2018 - सॉफ्टवेयर विकास के शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु निविदा आमंत्रित की गई।

25 अक्टूबर 2018 - मैसर्स इंडस वेब सॉल्यूशन प्रा. लिमिटेड को ₹ 1,12,92,000/- की लागत पर शेष कार्य पूर्ण करने हेतु चयनित किया गया।

22 मार्च 2019 - मैसर्स इंडस वेब सॉल्यूशन प्रा. लिमिटेड के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया।

01 अप्रैल 2019 - आई एफ एम एस को गो-लाइव किया गया।

1.5 संगठनात्मक ढाँचा

आई एफ एम एस के क्रियान्वयन हेतु, वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हक़दारी (डी टी पी ई) को नोडल एजेंसी नामित किया गया था। विस्तृत संगठनात्मक ढाँचा नीचे **चार्ट-1** में दिया गया है:

चार्ट-1: संगठनात्मक ढाँचा

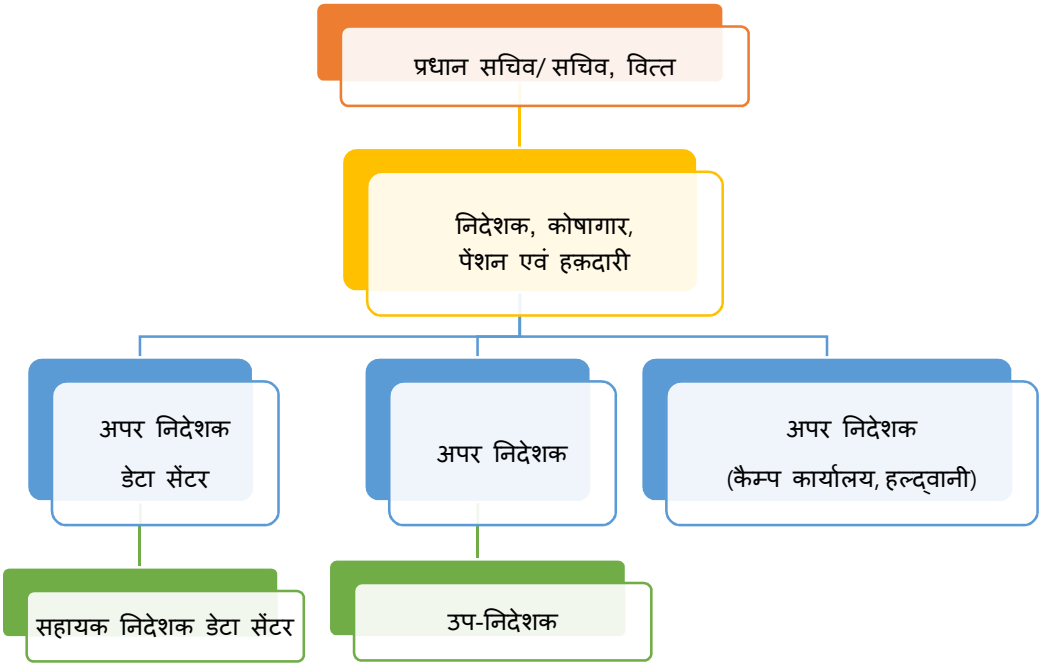

1.6 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रण, व्यावसायिक प्रक्रियाओं के मैपिंग और प्रणाली के प्रमुख मॉड्यूल के कार्य पद्धति के सम्बन्ध में आई एफ एम एस प्रणाली की प्रभावशीलता के मूल्यांकन एवं आश्वासन प्राप्त करने हेतु आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित की दक्षता और प्रभावशीलता का आंकलन किया गया-

- बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग;
- परियोजना प्रबंधन;
- आई एफ एम एस की कार्यप्रणाली एवं नियंत्रण;
- अन्य प्रणालियों के साथ आई एफ एम एस का एकीकरण; एवं
- सूचना प्रणाली सुरक्षा।

1.7 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- राष्ट्रीय ई-शासन नीतियों एवं मानकों तथा तकनीकी दस्तावेजों के प्रावधान;
- आई एफ एम एस की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर), प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर एफ पी), आई एफ एम एस हेतु सॉफ्टवेयर रिक्वाएरमेंट स्पेसिफिकेशन (एस आर एस) एवं फंक्शनल रिक्वाएरमेंट स्पेसिफिकेशन (एफ आर एस);
- कोषागार कम्प्यूटरीकरण/ साइबर सुरक्षा/ सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली आदि से संबन्धित शासनादेश; एवं

- उत्तराखण्ड बजट नियमावली, वित्तीय हस्तपुस्तिका/ कोषागार नियमावली एवं कोषागारों के स्थायी आदेश।

1.8 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

आई एफ एम एस की लेखापरीक्षा दिनांक 05 सितंबर 2022 से 15 दिसंबर 2022 तक आयोजित की गई थी। सचिव, वित्त एवं अपर निदेशक, प्रभारी एफ डी सी, डी टी पी ई, देहरादून के साथ दिनांक 26 अगस्त 2022 को प्रवेश गोष्ठी आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा डी टी पी ई के अभिलेखों की जांच की गयी तथा लेखापरीक्षा को आई एफ एम एस के टेस्ट एन्वायरमेंट का एक्सेस प्रदान किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के आई एफ एम एस डेटा का विश्लेषण भी किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा आई एफ एम एस में उपलब्ध, ***परिशिष्ट-1.3*** में दिए गए कुल 25 मॉड्यूलों में से, नौ प्रमुख मॉड्यूलों[2] की जांच की गयी। लेखापरीक्षा को यूज़र वॉकथ्रू एवं डेटा विश्लेषण हेतु फ्रंट-एंड एवं बैक-एंड के माध्यम से सिस्टम का एक्सेस उपलब्ध था। आई एफ एम एस की कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त करने हेतु लेखापरीक्षा द्वारा साइबर कोषागार एवं एफ डी सी का दौरा भी किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की सूचना दिनांक 07 मार्च 2023 को उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की गई थी तथा दिनांक 21 जून 2023 को सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के साथ एक बहिर्गमन गोष्ठी आयोजित की गई थी। बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान प्राप्त प्रतिक्रियाओं तथा शासन से प्राप्त लिखित उत्तरों (23 अगस्त 2023) को इस प्रतिवेदन में यथोचित स्थानों पर शामिल किया गया है।

1.9 अभिस्वीकृति

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, लेखापरीक्षा के लिए डेटा, सूचना और अभिलेख प्रदान किए जाने हेतु डी टी पी ई के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

[2] बजट (बजट तैयार करना, बजट संवितरण, बजट रख रखाव, बजट योजना); डी डी ओ, ई-चालान, प्राप्ति लेखांकन, ई-भुगतान एवं भुगतान लेखांकन।